कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2020/65 दिनांक : 19.02.2020

महत्वपूर्ण

1. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2020 के सुचारू संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।
प्रसंगः– शासन का निर्देश पत्रांक : पं.3(7) शिक्षा–6/2015, जयपुर, दिनांकः– 31.01.2020

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 05 मार्च, 2020 से तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाऐं 12 मार्च, 2020 से प्रारम्भ हो रही है। इनमें लगभग 20.56 लाख परीक्षार्थी 5680 परीक्षा केन्द्रों पर प्रविष्ट होंगे। इसके सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग की भी महती जिम्मेदारी है। अतः बोर्ड परीक्षा आयोजन के विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुक्रम में उक्त परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु अग्रिम तथा आवश्यक व्यवस्थाएं एवं वांछनीय सावधानियाँ सुनिश्चित किए जाने बाबत निर्देश एतद् द्वारा जारी किए जाते हैं :–

1. बोर्ड परीक्षाओं में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों, उत्तरपुस्तिका संग्रहण–वितरण केन्द्रों तथा चयनित परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों से वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी।
2. जिला स्तर पर कलक्टर की तरफ से अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में भी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित नहीं होगी तथा पूर्व निर्धारित तिथि में परीक्षा संचालित की जाएगी।

(अ) प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाएं :–

शासकीय निर्देशानुरूप शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की सुनिश्चितता हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन प्रत्येक जिले में अग्रांकित विवरणानुसार किया जाना है :–

(i)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
(ii)	जिला पुलिस अधीक्षक	सह–अध्यक्ष
(iii)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक	सदस्य सचिव
(v)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक), कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक	सदस्य
(vi)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक	सदस्य

परीक्षा व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए उपर्युक्त संचालन समिति की बैठक 24 फरवरी, 2020 तक आयोजित की जाकर परीक्षाओं की संचालन सम्बन्धी अग्रिम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। बोर्ड परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का रहेगा।

इस कार्य में सभी संबंधित उप–खण्ड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था व परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। ये सभी अधिकारी जिला परीक्षा संचालन समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी तरीके से सुनिश्चित की जाए, जिसकी समस्त जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का रहेगा।

(ब) **गृह विभाग से सम्बन्धित** :–

1. परीक्षाओं के दौरान प्रत्येक जिले के पुलिस कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किये जाएंगे। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी के नाम तथा टेलीफोन नम्बर की सूचना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। परीक्षा के दौरान कही भी अवांछित घटना होने अथवा सम्भावना होने की जानकारी होने पर तत्काल इस कंट्रोल रूप को अवगत करवाए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी।
2. दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर एवं जोधपुर सामुहिक नकल की दृष्टि से तथा सीकर, नागौर एवं झुंझुनूं जिले प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। अतः इन जिलो में परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
3. राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों व उड़नदस्तों की रिपोर्ट तथा गत वर्षो के अनुभव के आधार पर चिह्नित संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सके। **बोर्ड द्वारा इनकी सूची सम्बन्धित विभाग को भेजी जाएगी। अति संवेदनशील केन्द्रों पर चार–चार पुलिसकर्मी तथा संवेदनशील केन्द्रों पर दो–दो पुलिसकर्मी की व्यवस्था की जाएगी। ये पुलिसकर्मी पुलिस विभाग द्वारा निःशुल्क नियुक्त किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिये जहाँ भी शांति व्यवस्था कायम करने हेतु पुलिस बल की आवश्यकता हो, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए।**
4. शहरी क्षेत्रों मे स्थित लगभग सभी परीक्षा केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों से 10 किमी की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न–पत्र समीप के पुलिस थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखे जायेंगे। साथ ही, ऐसे केन्द्र जो थानों से 14–15 किमी की दूरी पर स्थित है तथा वहाँ से प्रश्न–पत्र रोजाना थाने से केन्द्र पर लाना सुरक्षिक व सुविधाजनक हो, उनके प्रश्न–पत्र भी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक की सहमति से सम्बन्धित थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखे जा सकेंगे। इन सभी परीक्षा केन्द्रों की सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समय पर उपलब्ध कराई जायेगी।

   जहाँ तक सम्भव हो, थानों अथवा पुलिस चौकियों में ही प्रश्न–पत्र रखें जावें। थानों या पुलिस चौकी पर रखी प्रश्न–पत्र अलमारी की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
5. विशेष स्थिति होने से जिन केन्द्रों की प्रश्न–पत्रों की अलमारी थाने/चौकी पर नहीं रखी जा सकती, उनके लिए अग्रांकित व्यवस्था की जाए :–
   - A. एक ही स्थान पर एक से अधिक परीक्षा केन्द्र होने पर किसी राजकीय विद्यालय को नोडल परीक्षा केन्द बनाकर उन सभी केन्द्रों के प्रश्न–पत्रों की अलमारी नोडल परीक्षा केन्द्र पर रखी जाए।
   - B. जो केन्द्र थाने तथा नोडल परीक्षा केन्द्रों से अधिक दूरी पर है, उनके प्रश्न–पत्रों की अलमारी उसी केन्द्र पर रखी जायेगी। इन्हें एकल परीक्षा केन्द्र कहा जाएगा।
   - C. इन केन्द्रों की उड़नदस्ते व जिला शिक्षा अधिकारी विशेष निगरानी रखेंगे तथा समय–समय पर निरीक्षण भी करेंगे। उड़नदस्ता सदस्यों के नाम गोपनीय रखे जाए।
   - D. प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा हेतु सभी जिलों के एकल एवं नोडल परीक्षा केन्द्रो पर प्रश्न–पत्र पहुंचने की तिथि से परीक्षा समाप्ति तक दो–दो होमगार्ड की 8–8–8 घन्टे की ड्युटी 24 घन्टे के लिए लगाई जाएंगी।
6. सभी जिलों में गठित उड़नदस्तों के साथ निःशुल्क एक–एक पुलिसकर्मी भेजे जाएं। पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं होने पर एक–एक होमगार्ड लगाया जाए।

   होमगार्ड के पारिश्रमिक का भुगतान गतवर्ष की भांति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। भुगतान के लिए परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व होमगार्ड विभाग द्वारा सूचित राशि की कार्यालय स्तर पर गणना कर 80 प्रतिशत अग्रिम राशि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा महानिदेशक (गृह रक्षा) विभाग, राजस्थान जयपुर को उपलब्ध करवाई जाएगी तथा गृह रक्षा विभाग इनके बिल भुगतान हेतु तुरन्त बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं बोर्ड कार्यालय द्वारा शेष राशि का 30 दिवस में भुगतान किया जाएगा।
7. जिन परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न–पत्र थानों/पुलिस चौकी अथवा एकल/नोडल केन्द्रों पर रखे जाएंगे। उनकी सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
8. उत्तर–पुस्तिका संग्रहण–वितरण केन्द्रों पर भी 8–8–8 घन्टे की ड्यूटी 24 घन्टे (अवकाश दिवसों सहित) दो–दो होमगार्ड तथा उप संग्रहण केन्द्रों पर दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दो–दो होमगार्ड नियुक्त किए जाएंगे। होमगार्ड बोर्ड द्वारा सूचित अवधि के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनका भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इनकी सूची बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग को तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भिजवाई जाएगी।

9. इसके अतिरिक्त जहां भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुलिस की तैनाती की आवश्यकता महसूस होगी, उन परीक्षा केन्द्रों की जानकारी बोर्ड द्वारा देने पर पुलिस व्यवस्था करने तथा इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आरक्षित पुलिस दल रखे जाएंगे।

10. बोर्ड द्वारा जिला मुख्यालय पर भेजे जाने वाले प्रश्न–पत्र जिस स्थान पर रखे जाएंगे, वहाँ 24 घन्टे निःशुल्क सशस्त्र पुलिस गार्ड लगाए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालय से प्रश्न–पत्र अलग–अलग परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाते समय दलों के साथ निःशुल्क सशस्त्र पुलिस गार्ड्स भेजे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक पुलिस गार्ड्स की सूचना जि0शि0अ0 (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी।

11. बोर्ड कार्यालय से परीक्षा सामग्री जिला मुख्यालयों पर ले जाने वाले वाहनों और परीक्षा के दौरान उत्तर–पुस्तिका संग्रहण–वितरण केन्द्रों और बोर्ड कार्यालय के बीच उत्तर पुस्तिकाएं परिवहन करने वाले वाहनों को शहरों में ''नो एन्ट्री जोन'' से निर्बाध आवागमन की अनुमति जारी करने हेतु निर्देश पुलिस विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

12. **प्रश्न–पत्र वितरण व्यवस्था** :– प्रश्न–पत्र की पेटियां जिला मुख्यालयों पर स्थित वितरण केन्द्रों पर बोर्ड की गोपनीय प्रेसों से दिनांक : 29 फरवरी एवं 01 मार्च, 2020 को पहुँचेंगी। जिला मुख्यालय पर प्रश्न–पत्र पहुँचने पर परीक्षा केन्द्रों को प्रथम चरण में वितरण दिनांक : 02.03.2020 को एवं द्वितीय चरण में दिनांक : 08.03.2020 को किया जाएगा।

    I. प्रथम चरण में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा, दोनों स्तर की परीक्षाओं के सभी परीक्षा केन्द्रों तथा केवल माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के ऐसे परीक्षा केन्द्रों, जिनके प्रश्न पत्र पुलिस थानों में रखे जाने हैं, उनके प्रश्न–पत्र व केन्द्र सामग्री का वितरण दिनांक : 02.03.2020 को किया जाएगा।

    II. द्वितीय चरण में शेष रहे केवल माध्यमिक परीक्षा के ऐसे परीक्षा केन्द्रों, जिनके प्रश्न–पत्र परीक्षा केन्द्रों (एकल / नोडल केन्द्र) पर अथवा पुलिस चौकी पर रहेंगे, उनकों प्रश्न पत्र का वितरण दिनांक : 08.03.2020 को किया जाएगा। शेष प्रश्न पत्रों की पेटियां दिनांक : 02.03.2020 से 08.03.2020 की अवधि तक जिला कोषागार में रखवाने की व्यवस्था की जानी हैं। यदि ये पेटियां जिला कोषागार में रखना सम्भव नहीं हो तो, पुलिस लाईन अथवा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा निर्धारित स्थान पर रखी जा सकेगी। जिला कोषागार, पुलिस थाना, पुलिस लाईन के अलावा अन्य स्थान पर प्रश्न–पत्र रखने पर इन स्थानों पर प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा के लिए 24 घन्टे सशस्त्र पुलिस गार्ड पुलिस विभाग द्वारा निःशुल्क नियुक्त किये जाएंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा 8–8–8 घन्टे की ड्यूटी पर दो–दो शिक्षक एवं दो–दो चौकीदार भी नियुक्त किए जाएंगे। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। जिला मुख्यालय पर प्रश्न–पत्र पहुँचने के उपरान्त इनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परीक्षा संचालन समिति की होगी।

13. शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों एवं परीक्षा आयोजन कार्य से जुड़े अन्य कर्मचारियों / अधिकारियों को परीक्षा कार्य हेतु पाबन्द करने के लिये हमेशा की भाँति **''राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा)''**का प्रावधान यथासमय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाएगा।

(स) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित :–

1. **राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना** : निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के बीकानेर स्थित कार्यालय में राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो दिनांक : 01 मार्च, 2020 से परीक्षा समाप्ति तक प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0151–2544043 हैं। नियंत्रण कक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी। नियन्त्रण कक्ष की ई–मेल आई.डी. secondarydd2@gmail.com है।

2. बोर्ड परीक्षा अवधि में वीक्षक ड्यूटी नियोजन एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था हेतु :– बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारू संचालन हेतु इस कार्यालय के निर्देश परिपत्र क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–3 / बोर्ड परीक्षा निर्देश / 2016, दिनांक : 12.04.16 द्वारा प्रसारित स्थायी निर्देशों की पालना समस्त सम्बन्धितों द्वारा सुनिश्चित रूप से की जाएगी। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में समस्त केन्द्राधीक्षकों, CBEO/DEO(HQ) –Sec/CDEO तथा विभागीय पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं उड़न दस्ता प्रभारियों द्वारा बोर्ड परीक्षा के दौरान अग्रांकित निर्देशों की पालना की / करवाई जानी सुनिश्चित की जावें :–

I. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र हैं, उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए। उक्त एस्कॉर्ट के रूप में नियुक्त शिक्षक बोर्ड परीक्षा आयोजन के दौरान अपने विद्यालय के बोर्ड परीक्षार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

II. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरान्त नियमित कक्षा शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके। वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनो हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए।

III. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थिति में वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए।

IV. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।

V. **परीक्षा केन्द्र पर अन्य विद्यालयों से वीक्षक ड्यूटी हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अत्यावश्यक होने पर ही की जाए। ऐसे शिक्षकों की उपस्थिति केवल वीक्षण कार्य दिवस की ही देय होगी, अन्य दिवस में वे अपने मूल पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।**

VI. यदि परीक्षा केन्द्र पर अतिरिक्त वीक्षकों की आवश्यकता होती है तो परीक्षा केन्द्र के पीईईओ परिक्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ही प्राथमिकता दे। यदि कोई शिक्षक परीक्षा केन्द्र के पीईईओ परिक्षेत्र के बाहर से आवश्यकतानुरूप लगाया जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी प्रति मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित की जाए।

VII. **वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण** :– बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से सम्बन्धित रजिस्टर का पृथक से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें।

A. केन्द्राधीक्षक बोर्ड द्वारा जारी मानक एवं मानदण्डों के अनुरूप ही वीक्षक/आरक्षी वीक्षक/फील्ड सुपरवाइजर/लिपिकीय–सहायक कर्मचारी इत्यादि बोर्ड परीक्षा हेतु कार्मिकों की नियुक्ति प्रतिदिवस की परीक्षार्थी/कक्ष संख्या के अनुरूप गणना कर परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर पूर्व में लगाई गई ड्यूटी के अनुसार ही कार्मिकों को केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुमत करेंगे। उक्तानुरूप समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाए तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति उपरान्त भी हस्ताक्षर करवाए जाएं।

B. केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा सम्बन्धी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएंगे। केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे।

C. बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं। केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था मे उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

D. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर संबंधित के विरूद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही संबंधित परीक्षा केन्द्र/विद्यालय में व्यवस्था दुरूस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाएगी।

VIII. उपर्युक्त निर्देशों की पालना में कोताही/उदासीनता बरतने वाले केन्द्राधीक्षकों/संस्थाप्रधानों/कार्मिकों एवं नियंत्रण अधिकारियों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता/निर्देशों की अवहेलना की स्थिति प्रकट होते ही तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

3. जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्थापित है तथा प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहाँ यथा सम्भव उक्त विद्यालय के वरिष्ठतम व्याख्याता, जिन्हें आहरण–वितरण का अधिकार दिया हुआ है, को ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाये।
4. परीक्षा केन्द्रों पर रात्रि की ड्यूटी देने वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को प्रति रात्रि के लिए एक दिवस का एवजी अवकाश तथा अवकाश के दिन की ड्यूटी के लिए एवजी अवकाश दिया जावे।
5. परीक्षा केन्द्रों पर रात्रि की ड्यूटी के लिए शारीरिक शिक्षक, एन.सी.सी. तथा स्काउट के अध्यापकों को प्राथमिकता से लगाया जाए।
6. जिन परीक्षा केन्द्रों की अलमारी समीप के थाने में रखी जानी है, उन केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों तथा पेपर कॉर्डिनेटर्स को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा पहचान–पत्र जारी किया जाएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी को उक्त परिचय पत्र दिखाया जाकर ही प्रश्नपत्रों की अलमारी खोलने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। । पेपर कॉर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा उड़नदस्तों के सदस्यों को भी परिचय पत्र जारी किये जाकर केन्द्राधीक्षकों/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों तथा पेपर कॉर्डिनेटर एवं माइक्रोऑब्जर्वर इत्यादि की उनके पते, दूरभाष एवं फोटो सहित एक सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी जाए।
7. जिन एकल/नोडल केन्द्रों पर प्रश्नपत्र रखे जायेंगे, उन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–मुख्यालय आकस्मिक निरीक्षण करें तथा रजिस्टर में इन्द्राज कर बोर्ड कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट भेजें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्न पत्र खोलते समय केन्द्राधीक्षक तथा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों, दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।
8. **पुलिस थाने से प्रश्न–पत्र लाने हेतु संबंधित केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, एक अध्यापक एवं एक परिचारक साथ जाएं तथा प्रश्न–पत्रों के पैकिट मजबूत थैले में रखकर सुरक्षित लाए जाएं। यदि प्रश्न–पत्रों के पैकैट दो पहिया वाहन से लाए जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक और दो पहिया वाहन एस्कॉर्ट के रूप में उनके पीछे–पीछे चले।**
9. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक के कार्यालय में तथा प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्यालय में भी दिनांक 01.03.2020 से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा के दौरान एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा, जो प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। इन सभी नियंत्रण कक्षों के फोन, फैक्स नम्बर, ई–मेल आई.डी. व प्रभारी के मोबाइल नम्बर की सूची निदेशालय को ई–मेल आई डी secondarydd2@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करें।
10. निदेशालय, संयुक्त निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक कार्यालयों में बोर्ड परीक्षा संचालन हेतु स्थापित नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिकों को अवकाश दिवसों में कार्य करने पर एवजी अवकाश दिया जाएगा।
11. किसी केन्द्र पर यदि कोई केन्द्राधीक्षक लापरवाही करता पाया जाता है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा उसके विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इस प्रकार के प्रकरणों पर संबंधितों द्वारा तत्काल प्रसंज्ञान लेकर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
12. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाए तथा बोर्ड मापदण्डों के अनुसार सभी केन्द्रों पर तैयारियां पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना आवश्यक है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक एवं सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्नीचर की कमी का आकलन कर जहां फर्नीचर की कमी है, वहां निजी विद्यालयों से सिंगल सीटेड फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। निजी विद्यालयों को बोर्ड सम्बद्धता नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षा हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में किराये पर फर्नीचर नहीं लिया जाए। उक्त बाबत इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 08.01.2020 द्वारा समुचित निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।
13. बोर्ड के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को फुटकर व्यय, टेलीफोन इत्यादि के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।
14. **थाने/चौकी/नोडल परीक्षा केन्द्रों से प्रश्न–पत्र प्रतिदिन संबंधित दिनांक/विषय के ही हों, यह भली–भांति जांचकर लाये जाएं। इस निर्देश की सख्ती से पालना करवाई जाए।**

15. **प्रश्न–पत्र अलमारी के एक ताले की सभी चाबी केन्द्राधीक्षक तथा दूसरे ताले की सभी चाबी अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के पास रखने के निर्देश दिये गये है, इसकी सख्ती से पालना की जाए।**
16. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र परिसर में अतिरिक्त कक्षा संचालन, होस्टल चलाने तथा कोचिंग कक्षाएँ चलाने पर एतद् द्वारा पाबन्दी लगाई जाती है। यदि विद्यालय में हॉस्टल चलाना अपरिहार्य हों, तो वहां हॉस्टल की निगरानी हेतु एक ऑब्जर्वर लगाया जाए, जिसकी बोर्ड को पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है।
17. परीक्षा सम्बन्धी कार्यो यथा उड़नदस्तों, प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षाओं में, पर्यवेक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर, माइक्रोऑब्जर्वर या संग्रहण केन्द्रों पर किसी भी सरकारी अधिकारी, शिक्षक, व्याख्याता तथा कर्मचारी को लगाने पर उनको कर्त्तव्य (On Duty) पर माना जाएगा।
18. परीक्षाओं में नकल करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम की पुख्ता व्यवस्था करने तथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम का प्रचार प्रसार समाचार–पत्रों एवं टी.वी. के माध्यम से किया जावें। परीक्षार्थियों को भली प्रकार जॉच कर परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाए। कोई भी परीक्षार्थी मोबाईल, फोन, केलकुलेटर, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केन्द्र में लेकर प्रवेश नही करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विभिन्न प्रकार की प्रश्न–पत्र लीक होने अथवा उत्तर–पुस्तिकाओं का बण्डल गिरने सम्बन्धी अफवाहों का तुरन्त खण्डन करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति देवें। परीक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने वाले अधिकारियों / कार्मिकों के विरूद्ध संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
19. राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय, जहां केवल स्वयं की शाला के ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे केन्द्रों पर अन्य सरकारी विद्यालयों से वीक्षकों / स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।
20. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर किसी भी वीक्षक / परीक्षक / अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक को मोबाईल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र से सम्पर्क के लिए शाला के लैण्डलाईन दूरभाष पर वार्ता की जाए। केवल केन्द्राधीक्षक को 'की–पेड' वाला मोबाईल रखने की अनुमति रहेगी।
21. निजी विद्यालयों में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर यदि सी.सी.टी.वी. की सुविधा उपलब्ध हो, तो वहां पर सी.सी.टी.वी.से परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं की निगरानी आवश्यक रूप से की जावे। इसके लिए सी.सी. टी.वी कैमरों को बोर्ड / जिला परीक्षा संचालन समिति के नियंत्रण में लेकर इस प्रकार से व्यवस्था की जावे कि परीक्षा संबंधी गोपनीयता भी कायम रहें और संसाधनों का उपयोग भी हो। जिन निजी परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, उन विद्यालयों को भी सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने के लिए जिला परीक्षा संचालन समिति स्तर से निर्देशित किया जाए। इस प्रकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से अधिकाधिक राजकीय विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. / विडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महादेष्टा, नागरिक सुरक्षा एवं समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
11. विशेषाधिकारी एवं मुख्य नियंत्रक (परीक्षा), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर